

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

(पूर्व राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड)

राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर - 302018

www.rsmssb.rajasthan.gov.in

दूरभाष नं.-0141-2722520

क्रमांक:प.8(42)प.आ./R.S.S.B./प.ध.सहा.सी.भ.प./2018/648 दिनांक: 24.09.18

विज्ञप्ति

राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम-1977 यथा संशोधित एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मन्त्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 के अन्तर्गत पशुपालन विभाग, राजस्थान के लिए पशुधन सहायक के कुल 2077 (गैर अनुसूचित क्षेत्र के 1833 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 244) पदों पर भर्ती हेतु बोर्ड के विज्ञापन संख्या 05/2018 दिनांक:14.03.2018, संशोधित विज्ञप्ति क्रमांक: 1364 दिनांक: 11.04.2018 एवं संशोधित विज्ञप्ति क्रमांक: 1566 दिनांक: 09.05.2018 के अनुसार ऑनलाईन आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये थे।

पशुधन सहायक के उक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा जारी विज्ञप्ति क्रमांक: 638 दिनांक: 18.09.2018 द्वारा स्थगित परीक्षा का आयोजन अब दिनांक: 21.10.2018 (रविवार) को प्रातः 11.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे के मध्य किया जावेगा।


इस परीक्षा के लिए ई-प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाईट से डाउनलोड करने की तिथि बाबत अलग से सूचित कर दिया जावेगा। आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि वे बोर्ड कार्यालय की उक्त विज्ञप्तियों के अनुसार निर्धारित पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता रखते हैं।

परीक्षार्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि परीक्षा केन्द्रों पर नकल एवं प्रतिरूपण की रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी उपाय किये गये हैं। अतः परीक्षा में नकल/प्रतिरूपण कराने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के किसी झाँसे/बहकावे में नहीं आवें। नकल करने के लिए अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करें। नकल एवं प्रतिरूपण के प्रयास में पकड़े जाने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के साथ आपकी परीक्षा निरस्त होने एवं आगे आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षाओं में भाग लेने से रोक लगने से आपका कैरियर समाप्त हो सकता है।

परीक्षाओं के सम्बन्ध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किये जा रहे भ्रामक प्रचार पर विश्वास न करें। बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित समाचार-पत्रों में एवं बोर्ड की वेबसाईट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा दी गई जानकारी को ही अधिकृत माना जावे।

—: 2 :—

नवीनतम एवं अद्यतन सूचनाओं की जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in का नियमित रूप से अवलोकन करें।


(डॉ. बी० एल० जाटावत)
अध्यक्ष